बिहार सरकार
बिहार विकास मिशन

दिनांक 27.11.2017 को अध्यक्ष, उप मिशन सह विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बिहार विकास मिशन अन्तर्गत युवा उप मिशन की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति– बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची अनुलग्नक – 1 पर द्रष्टव्य है।

बैठक में युवा उप मिशन के अंतर्गत आनेवाले निश्चय एवं सुशासन से संबंधित योजनाओं के विषय में विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अद्यतन स्थिति की जानकारी पावर प्वाइंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समीक्षा की मुख्य बाते निम्न है :–

✓ **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (शिक्षा विभाग) :–**

- शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत् जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर कुल 19323 आवेदन प्राप्त हुये है जिनमें से 10246 आवेदकों को ऋण स्वीकृत एवं 5037 आवेदकों को ऋण वितरित किया जा चुका है। स्वीकृत ऋण की कुल राशि रू0 308.13 करोड़ एवं वितरित ऋण की कुल राशि रू0 45.76 करोड़ है। अब तक कुल 6949 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किये जा चुके है।
- TPVA के स्तर पर सत्यापन हेतु 1829 आवेदन लंबित है। जिनमें से 465 आवेदन 2 सप्ताह से अधिक एवं 485 आवेदन 4 सप्ताह से अधिक समय से लंबित है। इनमें से बिहार के अंदर 502 एवं राज्य के बाहर 1327 आवेदन जाँच हेतु लंबित है।
- इस योजना में बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या एवं निर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की संख्या में दृष्टिगोचर अंतर के संबंध मे पृच्छा की गयी एवं निदेश दिया गया कि स्वीकृत आवेदकों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के साथ हीं स्वीकृत राशि का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाय।
- बैठक में बैंक स्तर पर स्वीकृत ऋण की संख्या एवं वितरित ऋण की संख्या में दृष्टिगोचर अंतर के संबंध में पृच्छा की गयी तथा विभाग को निदेशित किया गया कि ऋण की स्वीकृति प्राप्त छात्रों से संपर्क कर ऋण वितरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाय।
- बैंकों को आवेदन की हार्ड कॉपी विलंब से प्राप्त होने के संबंध में निदेश दिया गया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र से प्रेषित किये जाने वाले आवेदनों का अनुश्रवण सघन रूप से करते हुए बैंकों तक इसकी उपलब्धता ससमय सुनिश्चित की जाय।

  बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदकों को बैंक शाखाओं में कागजातों के दस्तावेजीकरण में सहयोग हेतु शिक्षा विभाग के नामित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा शत्–प्रतिशत दस्तावेजीकरण का गहण अनुश्रवण किये जाने का निदेश दिया गया।
- कुशल युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त वैसे आवेदक जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक है, उन्हें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जा सकता है अथवा नहीं इस संबंध में निदेशित किया गया कि शिक्षा विभाग अपने स्तर पर अनुमोदन प्राप्त कर लें।

  निदेश :– निदेशित किया गया कि सभी स्तर पर लंबित आवेदनों के निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर गुणवत्ता पूर्ण काउंसिलिंग एवं प्रचार–प्रसार किया जाय। योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आशा कार्यकर्ता, विकास मित्र आदि का सहयोग लिया जा सकता है।

11/12 14/12 S.O.(E) 14/12 3380 14/12/17